न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम [illegible]

तारीख पहु- 25.06.2024

पीठासीन अधिकारी- सुनीता मीना आर.ए.एस.

[illegible]

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]
5. [illegible] पत्नी [illegible]
6. [illegible] पत्नी [illegible] निवासी [illegible] तहसील टोडाभीम। [illegible] निवासी [illegible] तहसील टोडाभीम हाल्यवासी
7. [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible] जाति मीना निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला सवाई माधोपुर।
8. [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible] जाति मीना निवासी [illegible] हाल्यवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला करौली।
9. [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible] जाति मीना निवासी [illegible] हाल्यवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला सवाई माधोपुर।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]
5. [illegible] पत्नी [illegible]
6. [illegible] पुत्री [illegible] जाति मीना हाल्यवासी [illegible] तहसील महवा जिला दौसा।
7. [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible] सिंह जाति मीना हाल्यवासी [illegible] तहसील महवा जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र बाबत [illegible]

उपस्थित :- श्री [illegible] कुमार शर्मा (प्रार्थीगण)
श्री [illegible] शर्मा अप्रार्थीगण 6 व 9

निर्णय दिनांक- 25.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम [illegible] की [illegible] खसरा 1156/0.30, 1163/0.39, 1168/0.44, [illegible]/1.10, 1398/1.19, 1848/1.16, 1906/1.05 [illegible] 1914/1.18, 1975/1.09, 1995/1.10, 336/1.27, 339/0.72, 540 [illegible] 0.06, 752/1.47, 756/1.57 कुल किता 18 कुल रकबा [illegible] भूमि को अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार अपने [illegible] है।

यह है कि खसरा 1150/1.07, 1151/0.14, 1159/[illegible], 1207/0.24, 1227/1.41, 1370/2110/1.01, 1381/1.09, 1660/1.10, 1688/0.05, 1773/0.43, 1918/1.11, 1923/1.25, 1927/0.13, 1928/1.02, 1929/0.04, 1930/2176/0.10, 1932/1.06, 1955/1.05, 1962/0.08, 1978/1.13, 2049/0.11, 2051/0.10, 244/0.

(सुनीता मीना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:30 IST
Reason: SelfAttested

36, 245/0.44, 245/2137/0.06, 250/0.16, 70/0.10, 70/2106/0.04, 72/0.21, 729/0.69, 730/0.49, 86/0.26, 87/0.28, कुल किता 33 कुल रकवा 6.14 है0 मे अप्रार्थी न0 1 ता 7 की खातेदारी की आराजी है।

यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 के पूर्व दिशा की और अप्रार्थीगण की खातेदारी ख0न0 1923 रकवा 0.26 है0 स्थित है, जिसका अप्रार्थी न0 1 ता 7 द्वारा अप्रार्थी न0 8 व 9 ने वदला कर रखा है इसलिये मौके पर आराजी ख0न0 1923 पर अप्रार्थी न0 8 व 9 काबिज है। अप्रार्थी न0 8 व 9 लडाकू प्रवृति के ताकतवर व्यक्ति है, जो हर साल प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 के चारो तरफ बनी डोल को काटकर/तोडकर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1907/2175/0.04, 1906/0.05 का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2022 को किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 के तहसीलदार टोडाभीम को पुलिस इमदाद मे पत्थर गढी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, अप्रार्थी न0 1 ता 7 बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी न0 8 व 9 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम किरवाडा मे होना स्वीकार है। प्रार्थीगण ने शेष कथन मनगढन्त अंकित करवा दिये है। मद न0 4 मे प्रार्थीगण द्वारा यह कथन गलत अंकित किया है कि ख0न0 1907/2175 पर अप्रार्थीगण आवारा पशुओ को घुसा देते हो तथा प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुचाते है तथा प्रार्थीगण के कहने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते हो प्रार्थीगण द्वारा इस मद मे समस्त कथन गलत एवं मनगढन्त अंकित किये है। प्रार्थीगण द्वारा समस्त मेटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र एकदम गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का आराजी विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त नही है तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही ळै। खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम किरवाडा की आराजी कुल किता 18 कुल रकवा 5.11 है0 प्रार्थीगण काबिज काश्त है। एवं भूमि को अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार अपने उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है। तथा कुल किता 33 कुल रकवा 6.14 है0 मे अप्रार्थी न0 1 ता 7 की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 के पूर्व दिशा की और अप्रार्थीगण की खातेदारी ख0न0 1923 रकवा 0.26 है0 स्थित है जिसका अप्रार्थी न0 1 ता 7 द्वारा अप्रार्थी न0 8 व 9 ने बदला कर रखा है इसलिये मौके पर आराजी ख0न0 1923 पर अप्रार्थी न0 8 व 9 काबिज है। अप्राथी न0 8 व 9 लडाकू प्रवृति के ताकतवर व्यक्ति है, जो हर साल प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 के चारो तरफ बनी डोल को काटकर/तोडकर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1907/2175/0.04, 1906/0.05 का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2022 को किया गया। अतः मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.0[illegible]सार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 के तहसीलदार टोडाभीम को पुलिस इमदाद मे पत्थर [illegible] के [illegible] प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी न0 8 व 9 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य मनगढन्त अंकित करवा दिये है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि ख0न0 1907/2175 पर अप्रार्थीगण आवारा

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुचाते है तथा प्रार्थीगण के पशुओ को घुसा देते हो तथा प्रार्थीगण द्वारा इस मद मे समस्त कथन गलत कहने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते हो प्रार्थीगण द्वारा समस्त मेटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए प्रार्थना एवं मनगढन्त अंकित किये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है खारिज होने पत्र एकदम गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का आराजी विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त नही है तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 मे प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022 का अवलोकन किया जिसमे ग्राम ग्राम किरवाडा की आराजी ख0न0 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 का सीमाज्ञान राजस्व कार्मिको की टीम के द्वारा प्रार्थीगण की उपस्थिति मे करवाया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा कराये जाने पर मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम किरवाडा के खसरा नम्बर 1906/0.05, 1907/2175/0.04 है0 की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस इमदाद लेकर पत्थरगढी करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

कार्यालय उपजिला कलेक्टर (पं. उप जिला) टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:30 IST
Reason: SelfAttested